मसौदा सम्बोधन

श्री राधा मोहन सिंह

मानननीय केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री

महा-एग्रो 2016

समापन समारोह

27 दिसम्बर, 2016

औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

1. मुझे आज यहां **महा-एग्रो 2016** के समापन समारोह में आप सबके बीच आकर अत्यंत खुशी हो रही है । चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, मुम्बई तथा कृषि विभाग, महाराष्ट्र के सहयोग से इस चार दिवसीय कृषि प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए मैं मराठवाडा शेती सहाय मंडल (MSSM) को बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस मेगा कृषि प्रदर्शनी में 150 से भी अधिक कृषि कम्पनियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया । साथ ही भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया । इस मेगा प्रदर्शनी में पशु पालन, बागवानी, फार्म मशीनीकरण, जल एवं मृदा प्रबंधन तथा कपास एवं दलहन पर सेमिनार आयोजित किए गए ।

2. आज के संदर्भ में, कृषि मेले तथा कृषि प्रदर्शनियां कृषि की प्रगति में आधुनिक विज्ञान के प्रयोग को बढ़ाकर ''प्रयोगशाला से खेत'' (Lab to Land) तक प्रौद्योगिकी प्रसार के हमारे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण सेतु हैं। इस प्रकार की मेगा कृषि प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे किसान भाई नई तकनीकों के बारे में सीधी जानकारी हासिल करते हैं और साथ ही वैज्ञानिकों के साथ आपसी चर्चा करके अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं।

3. महाराष्ट्र, भारत का एक अग्रणी कृषि उत्पादक राज्य है और भारत की कृषि प्रगति में इसका उल्लेखनीय योगदान है। यहां के संतरे और अंगूर विश्व प्रसिद्ध हैं। राज्य की विशेषता को देखते हुए आईसीएआर ने भी यहां 10 अनुसंधान संस्थान तथा 44 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं तथा साथ ही राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

4. आज हमारी कृषि के सम्मुख भिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं जिनको देखते हुए सतत तकनीकी अपग्रेडेशन के माध्यम से ही कृषि उत्पादकता में टिकाऊ वृद्धि हासिल की जा सकती है। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा

कि दीर्घावधि में खेती को कहीं अधिक प्रभावी बनाने में संसाधन उपयोग प्रभावशीलता महत्वपूर्ण कारक होगी। निवेशों का अप्रभावी उपयोग करने से जहां एक ओर खेती की लागत बढ़ेगी व लाभप्रदता कम होगी वहीं दूसरी ओर इससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि के लिए जमीन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और विश्व स्तर पर पानी की कमी एक सर्वाधिक गंभीर संकट बन रहा है। इसलिए हमें मृदा कटाव एवं भूमि तथा वाटर बॉडीज के डिग्रेडेशन को रोकने और मृदा के स्वास्थ्य व जल की गुणवत्ता को बनाये रखने की जरूरत है।

5. खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी के युग से निकल कर खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से आत्म-निर्भरता के वर्तमान स्तर तक पहुंचने में भारत में कृषि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से एक लंबा रास्ता तय किया है। एक मजबूत और आत्म-निर्भर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के बोध से कृषि अनुसंधान और विकास को समेकित करते हुए ठोस राष्ट्रीय प्रयास किए गए जिसके परिणामस्वरूप कृषि का पूरा परिदृश्य बदल गया जिसे हरित क्रांति कहा गया। इस सफलता से राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रणालियों में विश्वास की धारणा उत्पन्न हुई।

6. भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास करके भारत में हरित क्रांति लाने और उतरोत्तर कृषि विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। वर्ष 1951 से लेकर अब तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुणा, बागवानी उत्पादन में 9.5 गुणा, मत्स्य उत्पादन में 12.5 गुणा, दूध उत्पादन में 7.8 गुणा तथा अंडा उत्पादन में 39 गुणा की वृद्धि हुई है। इस प्रकार के विकास का हमारी राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। हमारे वैज्ञानिकों ने उच्चतर कृषि शिक्षा की उत्कृष्टता को बढ़ाने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हमारे वैज्ञानिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के उत्कृष्ट क्षेत्रों में संलग्न हैं

और अपने विषयी क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है।

7. आने वाले वर्षों में कुपोषण और अप्रत्यक्ष भूख की चिन्ताओं का समाधान किया जाना है। इस प्रयास में गैर अनाज वाली खाद्य मदों को शामिल करके फूड-बास्केट में विविधता लाने के लिए अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी गई। इसके फलस्वरूप फलों, सब्जियों, दूध, मास, अंडा और मछली की उत्पादकता, उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि होना आरंभ हो गया जिसके परिणामस्वरूप भोजन पौषणिक रूप से अधिक सन्तुलित हो गया परन्तु इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

8. भविष्य में कृषि क्षेत्र भारत की आर्थिक सुरक्षा का केन्द्र बना रहेगा। भारत में एक बड़े निजी उद्यम (~138 मिलियन कृषक परिवार) के रूप में कृषि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान देती है और हमारा लगभग 50 प्रतिशत कार्यबल इसमें लगा हुआ है। तदनुसार, भारत में लगभग आधा कार्यबल अभी भी कृषि पर निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद में इस कार्यबल का कम योगदान होने का कारण औसत आधार पर इन्हें उद्योग और सेवा क्षेत्र में लगे कामगारों से कहीं कम आय प्राप्त होती है और इसीलिए वे अधिक गरीब हैं। इसलिए समग्र विकास के लिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास 'आवश्यक शर्त' है।

9. भारत में छोटे-छोटे खेतों में कृषि की जाती है। कृषि संगणना के अनुसार भारत में संचालनात्मक जोतों की कुल संख्या 138.35 मिलियन है और जोत का औसत आकार 1.15 हैक्टेयर है। कुल जोतों में से 85 प्रतिशत जोतें 2 हैक्टेयर से कम की सीमान्त और छोटी जोत हैं (कृषि संगणना, भारत सरकार, 2014)। ये छोटे कृषक यद्यपि कुल भूमि के केवल 44 प्रतिशत भाग पर ही खेती करते हैं तथापि राष्ट्र को खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करने वाले मुख्य प्रदाता हैं परन्तु प्रौद्योगिकी, निवेशों, क्रेडिट,

पूंजी और बाजार सुविधाओं तक इनकी पहुंच बहुत सीमित है। ऐसी प्रौद्योगिकियां जो भूमिहीनों, छोटे तथा सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करती हों, ग्रामीण परिवारों को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए आज की आवश्यकता हैं।

10. यद्यपि छोटे और सीमान्त किसान बड़े आकार की कृषिजोतों की तुलना में अधिक उत्पादकता प्राप्त करते हैं परन्तु उनके पास मर्किटिवेल सरपल्स कम होता है और वे कम लाभ प्राप्त करते हैं। सीमान्त और छोटे किसानों की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके विकास के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में लाभपूर्ण रोजगार के लिए विविध अवसर सहित प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं और अवसंरचना पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2030 तक छोटे और सीमान्त किसानों की कृषि जोतें 91 प्रतिशत से अधिक होंगी। लगातार घट रहे कृषि क्षेत्र के आकार से छोटे फार्मों के टिकाऊपन को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है।

11. मेरा मानना है कि हमारे किसान भाई उत्पादक होने के साथ-साथ अनुसंधानकर्ता भी हैं। आधुनिक कृषि विज्ञान की उत्पत्ति जहां कुछ सदी पुरानी मानी जा सकती है वहीं किसानों द्वारा अपनाई गईं कृषि रीतियां हजारों साल पुरानी हैं। किसान भाइयों ने ही सबसे पहले किस्म को अपने खेत में जांचा, परखा, उसमें संवर्धन किया और उसका संरक्षण किया। जैव विविधता के मामले में भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। और इसमें हमारे किसानों का योगदान उल्लेखनीय है। किसानों के योगदान को, उनके द्वारा विकसित किस्म को मान्यता प्रदान करने के लिए हमारे मंत्रालय के तहत पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV & FRA) द्वारा किसानों को प्लांट जीनोम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसानों तक प्राधिकरण की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से **महाराष्ट्र के पुणे** में एक केन्द्र खोलने की मंजूरी दी गई है। मुझे आशा है इससे किसान भाइयों को लाभ होगा।

12. गत दो वर्षों में हमारे अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थानों में कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग के लिए किसानों तथा वैज्ञानिकों के बीच संपर्क व संवाद बढ़ाने हेतु '**मेरा गांव - मेरा गौरव'** एवं **'फार्मर फर्स्ट' जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं। कुछ नयी उन्नतिशील पहल की गई हैं जैसे 'स्टूडेंट रेड्डी' (Student READY); आर्या (Attracting and Retaining Youth in Agriculture- ARYA); पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत भारत कृषि शिक्षा योजना; कंसोर्शिया अनुसंधान प्लेटफार्म; बाह्य वित्त सहायता; राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि; राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना एवं विद्यालयों में कृषि शिक्षा।**

13. भारत सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए अनेक नई पहल की हैं जिनमें प्रमुख हैं :

- प्राकृतिक संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ **मृदा स्वास्थ कार्ड योजना** (Soil Health Card Scheme) लागू की गई है ताकि मृदा की उत्पादकता क्षमता को बरकरार रखा जा सके जिससे कि **स्वस्थ धरा-खेत हरा** रहे। इस योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है जिसके तहत अगले तीन वर्षों में कुल 14 करोड़ सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों को बांटे जाने हैं। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 3.44 करोड़ सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की जांच करके उसकी आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का एकीकृत, संतुलित एवं न्यायोचित उपयोग करना है जिससे 20 प्रतिशत तक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।
- देश में प्रत्येक कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल उपलब्ध कराने तथा जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** *(Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana-PMKSY)* की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि **प्रति बूंद अधिक उत्पादन** (More Crop - Per

Drop) प्राप्त किया जा सके। इस योजना को पांच वर्ष की अवधि (2015-16 से 2019-20) के लिए रूपये 50,000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, एक राष्ट्रीय कृषि बाजार भी स्थापित किया गया है। कृषि अनेक प्राकृतिक घटनाओं, जैसे कि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, पाला उच्च एवं न्यून तापमान उग्रताओं के प्रति काफी संवेदनशील है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों से निपटने के लिए 600 से भी अधिक जिलों के लिए आकस्मिकता योजनाएं (Contingency Plan) तैयार की गई हैं।

- **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना -** फसल बीमा के लिए सरकार की ओर से अब तक की सबसे बड़ी सहायता योजना है जिसके अंतर्गत आपदा से होने वाली फसल क्षति की भरपाई की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों द्वारा एकसमान रूप से सभी तरह की खरीफ फसलों के लिए केवल 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत अधिकतम प्रीमियम अदा किया जाएगा और शेष प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान के लिए किसानों को पूरी बीमा राशि दी जा सके।
- **आपदा राहत के मानकों में परिवर्तन** - मुआवजा डेढ़ गुना बढ़ा, पात्रता 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत की गई, सरकारी खरीद के मानकों में ढ़ील, ऋण के भुगतान और समयसीमा में परिवर्तन, डीजल में सब्सिडी के साथ बीजों के लिए सब्सिडी में 50 प्रतिशत की वृद्धि।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना** - पहली बार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना।
- **मधुमक्खी पालन विकास हेतु नयी पहल**
- **नीली क्रांति** :- देश में खाद्य, पोषणिक एवं आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करना। इस दिशा में मछली पालन की विकास दर 5.8 प्रतिशत से बढ़कर अब 7.25 प्रतिशत हो गई है।

- **गन्ना किसानों के लिए प्रभावी नीतिगत फैसले** – निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी, एथेनॉल ब्लेंडिंग में 250 प्रतिशत की वृद्धि।
- **विश्व व्यापार संगठन में किसानों के हितों की सुरक्षा – किसानों के दीर्घाकालीन हितों की सुरक्षा के लिए तटस्थ वार्ता।**
- **नीम लेपित यूरिया** - उर्वरक की क्षमता में बढ़ोतरी और अन्य प्रयोगों को रोकना।
- **नई उर्वरक नीति** - उर्वरकों की कमी नहीं होने देने और पूर्ण उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक उत्पादन में बढ़ोतरी।

- मनरेगा में कम से कम 60 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में व्यय
- **किसान टीवी चैनल की शुरूआत** - किसानों को मौसम, किसान मंडी और अन्य आंकड़ों में मदद के लिए सातों दिन 24 घंटे का चैनल
- **किसान क्रेडिट कार्ड** स्कीम देशभर में चलाई जा रही है और इसे कमर्शियल बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लागू किया गया है। इस स्कीम का प्रयोजन कृषि गतिविधियों के लिए क्रेडिट फ्लों को बढ़ाने की सुविधा देना है।
- देश के विभिन्न जिलों में कृषि प्रसंस्करण केन्द्र खोले जा रहे हैं जहां किसान भाई अपने कृषि उत्पादों का वाजिब मूल्य पर प्रसंस्करण करके अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं।
- खेती में अच्छे परिणाम हासिल करने में बीज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है । इसे देखते हुए देश के विभिन्न जिलों में बीज हब (Seed Hub) स्थापित किए जा रहे हैं।
- खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- आज हमारा देश नोटबंदी की प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसका मकसद भारत को भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था वाला राष्ट्र बनाना है। इसमें हमारी कृषि की, हमारे किसान भाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्रान्तिकारी प्रयास में हमारे मंत्रालय द्वारा कई पहल की जा रही हैं जैसे कि

- e-nam (e- National Agricultural Market)
- किसान पोर्टल
- केवीके पोर्टल
- मंत्रालय की फेसबुक
- कृषि विज्ञान केन्द्रों में किसानों को कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

14. मेरा आपसे अनुरोध है कि देश में एक नई कृषि क्रान्ति की दिशा में हम सब एकजुट होकर सम्मिलित प्रयास करें और जलवायु परिवर्तन के विशेष संदर्भ में, जल की बचत करने वाली ऐसी उन्नत कृषि किस्मों व तकनीकों के विकास पर बल दें जिससे हमारे राष्ट्र की खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा मजबूत हो और किसानों की खुशहाली बढ़े।

जयहिन्द